

# UN-FEEDING WORLD BANK

## INTER-STATE PROJECT FOR WELFARE & DEVELOPMENT

CORPORATE OFFICE- DEVELOPMENT BUILDING, IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA,  
Mb-9473673785/8887985877/E-mail-info@unfeedingworldbank.com,

पत्रांक:एस.जी.एस.वाई./2025-26/प्रसार

दिनांक:-11.12.2025

समस्त आवेदक

आउटसोर्सिंग एण्ड मैनेजमेन्ट एजेन्सी,

विषय:-आत्मनिर्भर भारत में सबके लिए घर एवं शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में लोन एवं जनसम्पर्क अधिकारियों की न्युक्तियों के लिये, आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

1-अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक एक अन्तरराज्यीय परियोजना है, जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को, सीएसआर वेलफेयर फंड से, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक-जीरो डिपोजिट आरडी-एकाउन्ट के द्वारा, उनके सभी चिकित्सा, शिक्षा, निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों के भुगतान, एवं छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रु०, तथा किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के, कैश सहायता के रूप में, सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं आउटसोर्स एजेन्सियों के माध्यम से, दुनिया में पहली बार बिल्कुल फ्री, उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये, सभी कार्य केवल, अन्तरराज्यीय फंडिंग एजेन्सी, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा किये जायेंगे।

महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में, लोन आफिसर्स की, जिनकी न्यूनतम योग्यता, इन्टरमीडिएट होगी, की न्युक्तियों के लिये, आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की न्युक्तियां अनुबन्ध के आधार पर की जानी है।

पद कोड	पदनाम	औसत पदों की संख्या	मासिक कुल परिलब्धियों	अन्य लाभ	योग्यता	आयु सीमा दिनांक 31, मार्च, 2025 को
01	लोन आफिसर्स	200	22000 रु०	5 लाख का बीमा एवं पी.एफ.	इन्टरमीडिएट से स्नातक	18 से 45 वर्ष

2-अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में, अनुबन्ध के आधार पर इच्छुक आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग एजेन्सियों को अनुबन्ध-पत्र के अनुसार, औसत 200 लोन आफिसर्स की नियुक्ति होने, उनकी सिक्योरिटी राशी जमा होने एवं उनके द्वारा अनुबन्ध के अनुसार, निर्धारित लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को पूर्ण करने पर 16 लाख रु०, अर्थात् 8 हजार रु० प्रति लोन आफिसर, प्लेसमेन्ट मद से, प्लेसमेन्ट शुल्क के रूप में, तथा नियुक्त किये गये, औसत 200 लोन आफिसर्स से कार्य पूर्ण कराने पर, 4 लाख रु० प्रतिमाह, अर्थात् 2 हजार रु० प्रति, लोन आफिसर प्रतिमाह आउटसोर्सिंग-शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे। सभी आवेदन करने वाली एजेन्सियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ 30 हजार रु०, प्रति विकास खण्ड, वेरिफिकेशन एवं प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी, जो वापिस नहीं की जायेगी। आवश्यक वेरिफिकेशन के बाद इन्टरव्यू में पात्र पायी जाने वाली आउटसोर्स एजेन्सियों को, 30 हजार रु० जमा करने की तिथी से 1 माह के अन्दर प्राथमिक अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। अपने प्राथमिक अनुबन्ध के साथ, 1 लाख रु०, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक, वेलफेयर फंड हेड में, जमा करना होगा। तभी प्राथमिक अनुबन्ध पूर्ण माना जायेगा। इसके बाद प्रत्येक विकासखण्ड में औसत 200 लोन आफिसर्स की नियुक्तियों, उनके साथ अनुबन्ध एवं उनके प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद, सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के साथ, रजिस्टर्ड अनुबन्ध किया जायेगा एवं सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। इसके बाद, सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा नियमानुसार लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को भरवाया जायेगा। एवं अग्रिम कार्यावाही की जायेगी। रजिस्टर्ड अनुबन्ध के साथ, 1 लाख रु०, सिक्योरिटी एमाउन्ट जमा करना होगा। आवश्यक योग्यता रखने वाली इच्छुक एजेन्सियों केवल, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना की वेबसाइट-[www.unfeedingworldbank.com](http://www.unfeedingworldbank.com) पर ही ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन शुल्क एवं वेलफेयर एमाउन्ट सहित, सभी राशियाँ केवल-UNFEEDING WORLD BANK PARIYOJNA, (नोडल एजेसी, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक, विकास भवन, लखनऊ), के खाता संख्या-756020110000263, बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, आईएफएससी कोड-BKID0007560 पर अथवा इसके दिये गये, क्यू.आर. कोड पर ही जमा होगी।

3-समस्त आउटसोर्सिंग एजेन्सियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, के निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा किया जायेगा, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना के राज्य, जोनल एवं जनपद तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं एजेन्सियों सहित किसी को भी उपरोक्त चयन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

भवदीय

Digitally signed by Amitosh K.G.

Date-11.12.2025, at 11.29 am.

(अमितोश के.जी.)

अपर निदेशक-प्रशासन

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अपर निदेशक-प्रशासन